# उद्यान अनुसंधान केंद्र,पत्थरचट्टा

## गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,पंतनगर

***निविदा के माध्यम से केन्द्र के आम, लीची, कटहल, व नाशपाती के बागों की बिक्री की सूचना***

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर आम, लीची, कटहल, व नाशपाती के बागों के बिक्री हेतु विविध ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों से निविदायें आमत्रित की जाती हैं। निविदायें सह निदेशक के कार्यालय में दिनांक 21.03.2017 को पूर्वाहन 11:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगीं तथा निविदा केवल उन्हीं ठेकेदारों/फर्मों की स्वीकार की जायेंगी जो दिनांक 14.03.17 से दिनांक 20.03.17 तक प्रातः 9:00 से सायं 4:00 बजे तक (किसी भी कार्य दिवस में) रू0 25,000 का बैंक ड्राफ्ट वित्त नियंत्रक गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम S.B.I/P.N.B./.U.C.O., BANK PANTNAGAR शाखा में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाले जायेगें। निविदा में भाग लेने से पूर्व निविदादाता बागों का भलीभांति निरीक्षण कर ही निविदा प्रस्तुत करें अन्यथा बाद में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

**बागों का विवरण:-**

| लाट सं0. | विभाग का नाम | बागों का विवरण | क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|---|---|---|---|
| लाट सं0-1 | उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा | आम व 6 पेड़ लीची क्षेत्र सं0 - 1,2,3बी | 27 एकड़ |
| लाट सं0-2 | | लीची 2, 3ए, 3बी, 2सी0, 4सी0, 17, 18, 23 नम्बर | 44 एकड़ |
| लाट सं0-3 | | आम व चीकू क्षेत्र सं0 - 5 | 12 एकड़ |
| लाट सं0-4 | | आम क्षेत्र सं0 - 8 | 15 एकड़ |
| लाट सं0-5 | | आम क्षेत्र सं0 - 10,11 | 40 एकड़ |
| लाट सं0-6 | | आम व कटहल क्षेत्र सं0- 12,13,14 | 41 एकड़ |
| लाट सं0-7 | | नाशपाती व लीची क्षेत्र सं0- 6,7,15 | 12 एकड़ |
| लाट सं0-8 | | आम क्षेत्र सं0 09 | 12 एकड़ |

**निविदा की शर्तें**

1. बागों के ठेके की अवधि 31.08.2017 तक होगी।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली-भॉति निरीक्षण कर ले। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा किया गया रू0 25,000/- के बैंक ड्राफ्ट को छोड़कर अन्य निविदादाता द्वारा जमा किया गया बैंक ड्राफ्ट निविदा समाप्ति के एक सप्ताह पश्चात् लौटा दिया जायेगा।
4. सफल निविदादाता को उच्चतम निविदा राशि का 40 प्रतिशत अग्रिम के रूप में निविदा समाप्ति के पश्चात् जमा करना होगा। इस राशि में पहले जमा किया गया रू0 25,000/- के बैंक ड्राफ्ट को समायोजित नहीं किया जायेगा यदि सफल निविदादाता 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा पहले जमा किया गया रू0 25,000/- के बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा।
5. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बतायें किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।

6. कुलपति महोदय द्वारा निविदा स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व जो भी पहले हो, उच्चतम निविदा राशि का 40 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। शेष 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पूर्व जमा करनी होगी। इसमे पहले जमा किया रू0 25,000/– का बैंक ड्राफ्ट समायोजित कर लिया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा पत्र प्रेषण की दिनांक से 15 दिन में कब्जा नहीं लिया जाता है तो वह 15 दिन तक 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के साथ बाग का कब्जा ले सकता है। इसके बाद ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा और जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

ठेकेदार को बाग का कब्जा लेने के समय ठेके की उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में अलग से जमा करनी होगी। यह राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में *वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर* के नाम जमा करना होगा। जो केवल *भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पी0एन0बी0, पन्तनगर* में देय हो तभी बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किया जायेगा। इस बैंक ड्राफ्ट को ठेके की समाप्ति के बाद नियमानुसार ठेकेदार को लौटा दिया जायेगा। यदि निर्धारित दिनॉक तक प्रतिभूति राशि ठेकेदार द्वारा जमा नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में ठेकेदार द्वारा 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

7. समस्त धनराशियाँ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जायेगीं।
8. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद आदि को सुलझाने के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
10. फलों को केंद्र से बाहर ले जाने के लिए ठेकेदार को केंद्र से गेट पास प्राप्त करना होगा।
11. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस, ग्राम प्रधान, विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो, बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र के कार्यालय में जमा करना होगा।
12. शोध कार्य हेतु ठेकेदार को फलो की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी।

| क्र0 सं0 | फल बाग का नाम | प्रक्षेत्र संख्या | शोध कार्य हेतु दिये जाने वाले फल की मात्रा | शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी। |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आम व 6 पेड़ लीची | सं0–1,2,3बी | 1100 कि0ग्रा0 | 100 फल |
| 2. | लीची | 2,3ए,3बी,2सी0,4सी0,17, 18, 23 नम्बर | 1500 कि0ग्रा0 | 500 फल |
| 3. | आम व चीकू | सं0–5 | आम 250 कि0ग्रा0<br>चीकू 100 कि0ग्रा | 100 फल<br>50 फल |
| 4. | आम | सं0–8 | आम चौसा 600 कि0ग्रा0 व अन्य किस्म 200 कि0ग्रा0 | 100 फल |
| 5. | आम | सं0–10,11 | आम 1500 कि0ग्रा0 | 100 फल |
| 6. | आम व कटहल | सं0–12,13,14 | आम 1500 कि0ग्रा0 व कटहल 200 कि0ग्रा0 | 100 फल<br>– |
| 7. | नाशपाती व लीची | सं0–6,7,15 | नाशपाती 500 कि0ग्रा0 व लीची 150 कि0ग्रा0 | 100 फल<br>200 फल |
| 8. | आम | सं0–09 | आम 400 कि0ग्रा0 | 100 फल |

13. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू0 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनॉक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
14. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी या अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति मे की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके ठेकेदार को अवगत करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ो की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति में करता है तो ठेकेदार से उचित जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए परियोजनाधिकारी अथवा फल परियोजना समन्यवक की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार सह निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
15. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केन्द्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
16. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अर्न्तगत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों में के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता होने पर ठेकेदार द्वारा स्वंय सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी।
17. ठेकेदार को बाग की सफाई, फसल सुरक्षा, रोग, कीड़ो से बचाव तथा फलों की तुडाई, ढलाई आदि कार्य स्वयं करने होगे। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक, कीट नाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
18. ठेकेदार द्वारा फल तुड़ाई आदि कार्यो को सम्पन्न कराने हेतु लगाये गये श्रमिकों की मजदूरी भुगतान का प्रमाण पत्र भी केंद्र के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
19. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तो का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तो का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्व आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(वी0पी0सिंह)
सह निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र,
पत्थररचट्टा

प्रतिलिपि :–
1. बिक्री सहायक
2. लेखाकार, उद्यान अनुसंधान केंद्र